न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : बृजमोहन नोगिया, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 06/2021

अपीलांट

1. डायाराम पुत्र ओखाराम
2. हीरादेवी पत्नी ओखारामजी
3. वजाराम पुत्र पाताजी
4. मोहनलाल पुत्र नारणारामजी
5. बाबुराम पुत्र नारणारामजी
6. त्रिकमराम पुत्र हंसाजी
7. रमेश कुमार पुत्र जामारामजी
8. भंवरलाल पुत्र जामाराम, समस्त जातियान माली, निवासीगण फतापुरा, तहसील रानीवाड़ा,जिला जालौर
9. मेरी पुत्री जामारामजी पत्नी रमेशजी जाति माली, निवासी पूरण, तहसील जसवन्तपुरा, जिला जालौर
10. राणाराम पुत्र सोनारामजी जाति माली फौत के का. मु. वारिसानः–
    10/1. प्रभूराम पुत्र राणाराम
    10/2. छगनलाल पुत्र राणाराम
    10/3. हंजारीमल पुत्र राणाराम
    10/4. मसराराम पुत्र राणाराम
    10/5. शान्तादेवी पत्नी राणाराम समस्त जातियान माली, निवासीगण फतापुरा, तहसील रानीवाड़ा, जिला जालोर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. पीरा पुत्र दलाजी, जाति पुरोहित के का. मुकाम वारिसान–
    1/1. मंशाराम पुत्र पीराजी
    1/2. रामाराम पुत्र पीराजी
    1/3. बाबुराम पुत्र पीराजी
    1/4. दिपाराम पुत्र पीराजी
    1/5. छगन पुत्री पीराजी
    1/6. गंवरी पुत्री पीराजी
    1/7. मु. सीता पत्नी पीराजी
2. पुनमाराम पुत्र दलाजी,
3. करणा पुत्र समेलाजी
4. जीवा पुत्र समेलाजी
5. मु. सीता पत्नी समेलाजी, समस्त जातियान पुरोहित, निवासीगण फतापुरा, तहसील रानीवाड़ा, जिला जालोर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

6. राजस्थान राज्य सरकार जरिये जिला कलेक्टर जालौर
7. भूमिधारी तहसीलदार, रानीवाड़ा
8. हल्का पटवारी पटवार हल्का मालवाड़ा, तहसील रानीवाड़ा, जिला जालौर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

श्री बसन्त कुमार गहलोत, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट

श्री निखिल दवे, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 की ओर से

राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 6 व 8 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः 7/09/2021

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलेक्टर, रानीवाड़ा द्वारा अपील संख्या 46/2016 बअनवान पीरा बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय दिनांक 08.09.2020 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पो. संख्या 08 अनुपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा एक राजस्व वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विरूद्ध अपीलाट्स अन्तर्गत धारा 88, 188, 136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत बाबत् घोषणा, रैकर्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेद्याज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना जवाब साक्ष्य व सुनवाई का अवसर दिये जैर अपील निर्णय पारित किया है। साथ ही निवेदन किया कि मौजा फतापुरा के पुराने खसरा संख्या 98 रकबा 15 बीघा 8 बिस्वा की भूमि स्थित है, उक्त आराजी की खातेदारी जमाबंदी संवत् 2042 से 2045 में पीरा वल्द दला 1/2 समेला वल्द मनरूपा 1/2 खातेदार के नाम दर्ज थी तथा वादीगण के पूर्वाधीकारी उक्त आराजी में कब्जा काश्त बहैसियत मालिक चला आ रहा है। द्वितीय सैटलमैन्ट के दौरान पुराने खसरा संख्या 98 की आराजी से नवीन खसरा संख्या 106, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, व 105 रकबा क्रमशः 0.06 हैक्टर, 0.01 हैक्टर, 0.03 हैक्टर, 0.86 हैक्टर, 0.86 हैक्टर, 0.01 हैक्टर, 0.24 हैक्टर, 0.03 हैक्टर, 0.03 हैक्टर, 0.51 हैक्टर सृजित किये गये तथा द्वितीय सैटलमैन्ट के दौरान सैटलमैन्ट कर्मचारी व अधिकारियों ने गलत व अवैध रूप से बिना किसी अधिकार के तथा बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के उक्त आराजी से सृजित नवीन खसरा संख्या 106 रकबा 0.06 हैक्टर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

आराजी की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर उक्त आराजी के नवीन खसरा नम्बरान के राजस्व नक्शे में भी उक्त आराजी को रास्ते के रूप में दर्ज कर दिया। इस प्रकार सैटलमैन्ट कर्मचारियों व अधिकारियों ने द्वितीय सैटलमेन्ट के दौरान वादीगण की खातेदारी आराजी पुराने खसरा संख्या 98 रकबा 15 बीघा 8 बिस्वा आराजी से सृजित नवीन खसरा संख्या 106 रकबा 0.06 हैक्टर आराजी की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने का अधिकार नही था। सैटलमैन्ट अधिकारियों को सैटलमैन्ट के दौरान पुराने राजस्व रैकर्ड के अनुसार इन्द्राज करने के अधिकार प्राप्त थे। आराजी की किस्म परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त नही था तथा न ही उक्त आराजी को रास्ते के रूप मे राजस्व नक्शे मे दर्शित करने का कोई अधिकार हासिल था। द्वितीय सैटलमेन्ट के उक्त कर्मचारियों व अधिकारियों की कार्यवाही गलत व अवैध है, क्षैत्राधिकार के परे होने से अवैध व शून्य है। वादीगण खसरा संख्या 106 रकबा 0.06 हैक्टर की आराजी की किस्म बारानी दोयम होने की घोषणा करवाने के अधिकारी है तथा वादीगण ने घोषणा के साथ रैकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहते हुए रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध पेश किया, जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया। साथ ही अपीलांट्स की खातेदारी आराजी सरहद मौजा फतापुरा तहसील रानीवाड़ा के नवीन खसरा संख्या 107 लगायत 119 कुल खसरा संख्या 13 कुल रकबा 4.4800 हैक्टर की आराजी आई हुई है तथा उक्त आराजी के लगते ही रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 05 की आराजी खसरा संख्या 106, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, व 105 आई हुई है। अपीलान्ट्स की आराजी में से खसरा संख्या 113 में अपीलांट्स की रहवासीय ढाणी स्थित है, अपीलांट्स की खातेदारी आराजी मे आने जाने हेतु अपने पूर्वजों के समय से रेस्पोडेन्ट्स की खातेदारी आराजी व अपीलांट्स की आराजी में से कदीमी रास्ता आया हुआ है। उक्त रास्ता करीबन 100 वर्षो से लगातार सुचारू रूप से प्रारम्भ है। द्वितीय सैटलमेन्ट के दौरान मौके पर स्थित रास्ता जो रेस्पोडेन्टस् संख्या 01 से 05 की आराजी में स्थित था के नवीन खसरा संख्या 106 रकबा 0.0600 हैक्टर सृजित कर किस्म गैर मुमकिन रास्ता उचित तरीके से दर्ज की गई तथा इसी अनुसार अपीलान्ट्स की भूमि में स्थित रास्ते को नवीन खसरा संख्या 107 रकबा 0.0800 हैक्टर सृजित कर किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज की गई। अपीलान्ट्स के खातेदारी आराजी एवं रहवासीय ढ़ाणी में आने जाने हेतु मुख्य सड़क से होते हुए गैर मुमकिन रास्ता खसरा संख्या 106 व 107 अपीलांट्स द्वारा उपयोग व उपभोग किया जाता रहा है। मगर रेस्पोडेन्टस संख्या 01 से 05 ने अपीलान्ट्स की पीठ पीछे अपीलान्ट्स को राजस्व वाद मे पक्षकार बनाये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय में राजस्व वाद प्रस्तुत किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी उक्त रास्ते बाबत् विस्तृत जांच किये बिना एवं अपीलान्ट्स को बिना सुने ही खसरा संख्या 106 जो कि गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज है की किस्म परिवर्तन बाबत् जो निर्णय व डिक्री पारित की व विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त समस्त तथ्यो को ध्यान में न रखते हुए बिना अपीलांट के तर्को को सुने जैर अपील निर्णय पारित किया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपास्त फरमाया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा एक राजस्व वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विरूद्ध अपीलाट्स अन्तर्गत धारा 88, 188, 136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत बाबत् घोषणा, रैकर्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेद्याज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित किया गया है। साथ ही निवेदन किया कि मौजा फतापुरा के पुराने खसरा संख्या 98 रकबा 15 बीघा 8 बिस्वा की भूमि स्थित है, उक्त आराजी की खातेदारी जमाबंदी संवत् 2042 से 2045 में पीरा वल्द दला 1/2 समेला वल्द मनरूपा 1/2 खातेदार के नाम दर्ज थी तथा वादीगण के पूर्वाधीकारी उक्त आराजी में कब्जा काश्त बहैसियत मालिक चला आ रहा है। द्वितीय सैटलमैन्ट के दौरान पुराने खसरा संख्या 98 की आराजी से नवीन खसरा संख्या 106, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, व 105 रकबा क्रमशः 0.06 हैक्टर, 0.01 हैक्टर, 0.03 हैक्टर, 0.86 हैक्टर, 0.86 हैक्टर, 0.01 हैक्टर, 0.24 हैक्टर, 0.03 हैक्टर, 0.03 हैक्टर, 0.51 हैक्टर सृजित किये गये तथा द्वितीय सैटलमैन्ट के दौरान सैटलमैन्ट कर्मचारी व अधिकारियों ने गलत व अवैध रूप से बिना किसी अधिकार के तथा बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के उक्त आराजी से सृजित नवीन खसरा संख्या 106 रकबा 0.06 हैक्टर आराजी की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर उक्त आराजी के नवीन खसरा नम्बरान के राजस्व नक्शे में भी उक्त आराजी को रास्ते के रूप में दर्ज कर दिया। इस प्रकार सैटलमैन्ट कर्मचारियों व अधिकारियों ने द्वितीय सैटलमेन्ट के दौरान वादीगण की खातेदारी आराजी पुराने खसरा संख्या 98 रकबा 15 बीघा 8 बिस्वा आराजी से सृजित नवीन खसरा संख्या 106 रकबा 0.06 हैक्टर आराजी की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने का अधिकार नही था। सैटलमैन्ट अधिकारियों को सैटलमैन्ट के दौरान पुराने राजस्व रैकर्ड के अनुसार इन्द्राज करने के अधिकार प्राप्त थे। आराजी की किस्म परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त नही था तथा न ही उक्त आराजी को रास्ते के रूप मे राजस्व नक्शे मे दर्शित करने का कोई अधिकार हासिल था। द्वितीय सैटलमेन्ट के उक्त कर्मचारियों व अधिकारियों की कार्यवाही गलत व अवैध है, क्षैत्राधिकार के परे होने से अवैध व शून्य है। वादीगण खसरा संख्या 106 रकबा 0.06 हैक्टर की आराजी की किस्म बारानी दोयम होने की घोषणा करवाने के अधिकारी है तथा वादीगण ने घोषणा के साथ रैकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहते हुए रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध पेश किया, जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायलय द्वारा उक्त समस्त तथ्यो को ध्यान में रखते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया गया है। जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज की जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट द्वारा एक राजस्व वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विरूद्ध अपीलाट्स अन्तर्गत धारा 88, 188, 136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत बाबत् घोषणा, रैकर्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेद्याज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित किया गया है। जिसमें अधीनस्थ

न्यायालय द्वारा गैर मुमकिन रास्ते की किस्म परिवर्तन करने से प्रभावित होने वाले पक्षकार(अपीलांट्स) को पक्षकार बनाये बिना ही एवं सुनवाई व साक्ष्य का उचित अवसर दिये बिना ही मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 05 के वाद पत्र एवं रेस्पोडेन्ट की साक्ष्य पर भरोसा करते हुए जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है, एवं अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट्स संख्या 06 से 08 की तरफ से अपने जबाव दावे में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि द्वितीय सैटलमेन्ट के दौरान कदीमी रूप से रास्ते उपयोग–उपभोग किये जाने से नवीन खसरा सृजित करते समय खसरा संख्या 106 को गैर मुमकिन मुमकिन रास्ते के रूप में उचित तरीके से दर्ज किया गया है। ऐसी साक्ष्य अभिलेख पर होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार के जबाव दावे की अनदेखी करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188, 88, 136 के उल्लघंन की श्रेणी में आता है। अतः अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित जैर अपील निर्णय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 188, 136 के प्रावधानो को ध्यान में नही रखते हुए पारित किया गया है जो हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतित नही होता है।

पूर्व से कदीमी रास्ता चला आ रहा है परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलेक्टर, रानीवाड़ा द्वारा अपील संख्या 46/2016 बअनवान पीरा बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय दिनांक 08.09.2020 को विधि सम्मत नही होने के कारण अपास्त किया जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 7/09/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजमोहन नोगिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
राजस्व अपील प्राधिकारी पाली
7/09/2021
राजस्व अपील प्राधिकारी पाली